प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.08.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर बर्बर हत्या करने वाले दो वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 17-8-24 को वादी श्री अमन स्वामी पुत्र अजय स्वामी निवासी आई-008 केडब्लू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा साला तरुण पवांर दिनांक 16-8-24 की शाम से घर से मोरटी गांव काम से जाने के लिए बता कर निकला था, तब से ही उसका फोन स्विच ऑफ है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम गुमशुदगी क्र0सं0 139/24 पंजीकृत की गयी थी, गुमशुदा का काफी खोज बीन के बाद भी सुराग ना लगने पर दिनांक 20-8-24 को उक्त के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 24-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तो (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त अंकुर को दिनांक 27-8-24 को व 01 अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीते को दिनांक 28-8-24 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व घटना में शामिल वांछित अभियुक्तगण में से अभियुक्त मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को दिनांक 29.08.2024 एवं अभियुक्त अक्षय पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम रमाला (सिंगडा पट्टी) थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी म0नं0 डी-100ए लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी लोनी थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद को दिनांक 30.08.2024 को गिरफ्तार किया गया।अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभि0 का नाम व पता-

1. अक्षय पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी ग्राम रमाला (सिंगडा पट्टी) थाना रमाला जिला बागपत हाल निवासी म0नं0 डी-100ए लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी लोनी थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।
2. मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद 26 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभि0 अक्षय उपरोक्त ने बताया कि अंजली मेरी साली है, जो मेरी पत्नी नेहा की बड़ी बहन है, अंजली का अपने पति वैभव से छुटछुटाव हो गया था, अंजली को एक फ्लैट लोन पर लेकर औरा कायमेरा सोसायटी में लेकर दे रखा था, जिसमें की 6 लाख मैने व 4 लाख अंजली ने दिये थे, शेष का लोन था जो कि मेरे खाते से जा रहा था, सोसायटी के aoa अध्यक्ष मास्टर सुशील कुमार से कहकर मेरे द्वारा अंजली की नौकरी मैन्टीनेंस विभाग मे लगवा दी गयी थी, वहां पर पवन भी काम करता था, मेरी भी दोस्ती पवन से थी। कुछ दिन बाद पता चला कि अंजली व तरुण पंवार की दोस्ती हो गयी है, व फ्लैट पर तरुण पवांर का आना जाना लगा रहता है। पवन की भी

अंजली से नजदीकी थी, उक्त बात जब पवन ने मुझे बतायी तो मैने व परिवारीजन से अंजली को डांटा था, परन्तु तरुण पंवार उससे दोस्ती का लगातार दवाब बना रहा था, तब पवन ने अपने गांव के वंश, अंकुर, जीते दीपांशु व अमित के साथ मिलकर योजना बनायी। तथा मनोज उपरोक्त का कमरा मोरटा में किराये पर लेकर उसको योजना में शामिल कर लिया। दिनांक 16/8/24 को पवन, वंश, अंकुर, दीपांशु, अंकित , जीते के साथ मिलकर तरुण को ग्राम मोरटा में बुलाकर मारपीट कर गला रस्सी से दबाकर हत्या कर दी थी, उक्त योजना में मैं , अंजली व मनोज भी शामिल थे।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा गांजा बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 30.08.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गोकुलपुरी की तरफ से नहर की पुलिया के पास से 02 गांजा बेचने वाले अभियुक्तों 1.मोहित उर्फ लाला पुत्र रणवीर सिंह निवासी गली नं0 8 मं0नं0 874 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2.मोहित पुत्र सुरेन्द्र निवासी गली नं0 1 समोसे वाली गली उत्तरांचल कालोनी, फौजी का किराये का मकान थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से 01 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम बाहर से गांजा खरीदकर लाते है तथा आसपास के क्षेत्रों में चोरी-छिपे बेचकर कर अपने शौक पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.मोहित उर्फ लाला पुत्र रणवीर सिंह निवासी गली नं0 8 मं0नं0 874 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 31 वर्ष

2.मोहित पुत्र सुरेन्द्र निवासी गली नं0 1 समोसे वाली गली उत्तरांचल कालोनी, फौजी का किराये का मकान थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अभियुक्तों के कब्जे से 01 किग्रा 690 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त मोहित उर्फ लाला पुत्र रणवीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 04 अभियोग पंजीकृत है जिसमें 01 मारपीट करने, 01 धमकी देने, 01 जुआ अधिनियम तथा 01 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त मोहित पुत्र सुरेन्द्र के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.08.2024 को वादिया/पीड़िता के द्वारा थाना मसूरी पर प्रार्थना पत्र दिया गया सौतेले पिता द्वारा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की माँ के साथ नशा करके गन्दी गन्दी गालियां देने, मारपीट करने व प्रार्थिनी पर गन्दी नजर रखने व जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.08.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त हरदयाल अहिवार पुत्र अमना अहिवार निवासी सडवा बडा मलहरा छतरपुर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

हरदयाल अहिवार पुत्र अमना अहिवार निवासी सडवा बडा मलहरा छतरपुर मध्यप्रदेश, उम्र करीब-35 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर छेडछाड़ की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा पैसे दो गुने करने के नाम पर ठगी करने वाले 6 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 4,36,000/- रुपये बरामद।

दिनांक 29.08.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री मौहम्मद शादाब पुत्र श्री असगर अली निवासी फ्लैट नं0 665ए, न्यायखण्ड तृतीय, थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बाबत एक सफेद कार फॉर्च्यूनर बिना नम्बर (जिस पर A/F लिखा है) में सवार 02 अज्ञात व्यक्ति व 02 व्यक्ति पुलिस वर्दी धारण किये हुए द्वारा भारतीय रूपये देने पर बदले में रूपये के मूल्य का दो गुना दुबई की मुद्रा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर वादी व वादी के भाई मेहराज व बहनोई डॉ0 मोहतरम के जिनमें 8.5 लाख रुपये मेरे

तथा मेरे भाई मेहराज के थे तथा 4 लाख रुपये बताकर एक बन्द पैकेट उसमें मेरे बहनोई द्वारा मिलाया गया था। कुल 12.5 लाख रूपये हड़प लेने के सम्बन्ध में दी। जिसके आधार पर थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से 04 टीमों का गठन करते हुए घटना का अनावरण करने हेतु रवाना किया गया। आज दिनांक 30.08.2024 को चेकिंग के दौरान व मैनुअल इनपुट से 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से ठगी के कुल 4,36,000/- रुपये बरामद हुए है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- दिनांक 28.08.2024 को मौहम्मद शादाब पुत्र श्री असगर अली निवासी फ्लैट नं0 665ए, न्यायखण्ड तृतीय, थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद ने थाना वेवसिटी पर सूचना दी कि आईएमएस कॉलेज डासना के पास हमारे साथ लूट की घटना हो गयी है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच की गयी तो मामला संदिग्ध लगा। कढाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग भारतीय करेन्सी को दुबई की करेन्सी के चेंज करने आये थे। थाना पर दिनांक 29.08.2024 को मौहम्मद शादाब उपरोक्त द्वारा एक तहरीर दी गयी कि मैं एवं मेरा भाई मेहराज एवं बहनोई डॉ0 मौहतरम दिनांक 28.08.2024 को आईएमएस कालेज डासना के पास करेन्सी चेन्ज करने आये थे जिनमें 8.5 लाख रुपये मेरे तथा मेरे भाई मेहराज के थे तथा 4 लाख रुपये बताकर एक बन्द पैकेट उसमें मेरे बहनोई द्वारा मिलाया गया था। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। डॉ0 मौहतरम एवं वादी से कढाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि डाक्टर मौहतरम ने अपने साले मेहराज एवं मौहम्मद शादाब के पैसे हड़पने के लिए अपने पिता मौहम्मद आरिफ एवं नदीम , राशिद व आशू तथा तीन पुलिस कर्मी को शामिल कर योजना को अंजाम दिया। जिसमें नदीम एक पूर्व में अपराधी है तथा अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता बताता है। आज दिनांक 30.08.2024 को डॉ0 मौहतरम , आरिफ, नदीम एवं तीन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, कब्जे से 4,36,000/- रुपये बरामद हुए है। सभी को जेल भेजा जा रहा है।अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- मौहतरम पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी म0नं0 62 नूर गार्डन कालोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ
- मौहम्मद आरिफ पुत्र शमशुद्दीन निवासी म0नं0 62 नूर गार्डन कालोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ
- नदीम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठौर जनपद मेरठ
- मुख्य आरक्षी अनिल कुमार नियुक्ति जनपद हापुड़
- मुख्य आरक्षी सचिन कुमार नियुक्ति कमिश्नरेट आगरा
- मुख्य आरक्षी संजय कुमार नियुक्ति थाना अंकुर विहार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीमः-

जनपद मेरठ में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा, आयुध अधि0 के 2 मुकदमे तथा जनपद गाजियाबाद में जान से मारने की धमकी का एक मुकदमा पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

ठगी के 4,36,000/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 29.08.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा भौपुरा लाल गेट पर चेकिंग के दौरान दिल्ली की तरफ से एक मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। जिसे रोककर मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कागजात दिखाने को कहा गया तो व्यक्ति द्वारा कागज नही दिखाए गए। जब मोटर साइकिल को जिपनेट पर सर्च किया गया तो मोटर साइकिल दिल्ली से चोरी होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना ज्योति नगर दिल्ली में ई-एफआईआर पंजीकृत है। अभियुक्त से नाम व पता पूछने पर अपना नाम धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी म0न0 30/15 हरिओम गली न0 02 बाबरपुर दिल्ली उम्र 30 वर्ष बताया। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त को भौपुरा लाल गेट वजीराबाद रोड़ से चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल मैने करीब एक वर्ष पहले मण्डोली दिल्ली से चोरी की थी। तब से मैं इस मोटर साइकिल को चला रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी म0न0 30/15 हरिओम गली न0 02 बाबरपुर दिल्ली उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।